

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2020—माघ 12, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-बी-15-150-2019-चौदह-2 दिनांक 19 नवम्बर 2019 के द्वारा राज्य शासन ने खरगोन जिले की तहसील सनावद की उपमंडी बैड़िया को पृथक् मण्डी स्थापित किये जाने के अपने आशय को संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में खरगोन जिले की तहसील सनावद, के सम्पूर्ण विकासखण्ड/ग्राम पंचायत बैड़िया में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वनग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये बैड़िया में एक पृथक् मण्डी स्थापित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 01st February 2020

No. B-15-50-2019-XIV-2.—WHEREAS vide this Department Notification No. D-15-150-2019-XIV-2 Dated 19 November 2019 issued under the Provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare its intention to establish a separate Market at Bediya in tehsil Sanawad of Khargone District for the purpose of the "said Act" for regulating the purchase and sale of Agricultural Produce mentioned in the Schedule of the said Act in Revenue and Forest Villages of the whole area of Gram Panchayat/Development Block Bediya Tehsil Sanawad in Khargone district.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby establish a Seprate Market at Bediya, tehsil Sanawad in Khargone District including all revenue and forest Villages of the area of Gram Panchayat/Development Block Bediya for regulating the Purchase and Sale Agricultural Produce mentioned in the schedule of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति बैड़िया के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम बैड़िया एवं लछोरा, ग्राम पंचायत बैड़िया, तहसील सनावद, जिला खरगोन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 8.549 हेक्टर (21.125 एकड़) भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	ग्राम बैड़िया ख. क्र. 602	5.000
2	ग्राम लछोरा ख. क्रमांक 110	3.549
	योग . .	8.549

जिसकी सीमाएं.—

उत्तर में	—	खसरा नंबर 602/5 की शासकीय भूमि
दक्षिण में	—	खसरा नंबर 74 की शासकीय भूमि
पूर्व में	—	खसरा नंबर 603 एवं खसरा नं. 111 की शासकीय भूमि
पश्चिम में	—	खसरा नंबर 602/1 की शेष भूमि एवं खसरा 74 की शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 01st February 2020

No. B-15-50-2019-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas for which a market at Bediya has been established by this Depratment's Notification even No. B-15-150-2019-XIV-2 dated 19th November 2019 shall be the market yard namely :—

PLACE

An area of 8.549 Hectare land of below mentioned Khasra number at Gram Panchayat Badiya in Tehsil Sanawad of District Khargone:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
1	Gram Badia Khasra No. 602	5.000
2	Gram Badia Khasra No. 110	3.549
Total . .		8.549

BOUNDED BY

On the North by	Government Land of Khasra No. 602/5
On the South by	Government Land of Khasra No. 74
On the East by	Government Land of Khasra No. 111 & Khasra No. 603.
On the west by	Government Land of Khasra No. 74 & Khasara No. 602/1.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र बैड़िया के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत बैड़िया, तहसील सनावद, जिला खरगोन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

- (1) बैड़िया (2) चितावद (3) अमरपुरा (4) तमोलिया (5) बागदाखुर्द (6) बागदाबुजुर्ग (7) अतरसुम्बा (8) पीपरीखेड़ा (9) आम्बा (10) जामन्या (11) नलवट (12) लछोरा (13) भगोरा (14) भुगदड़ (15) डुडगांव (16) बहादरपुरा (17) बालाबाद (18) जलुवानिया (19) खानपुरा (20) भोगांवा निपानी (21) नीलकंठ (22) कपासी (23) चिजगोहन (24) राहड़कोट (25) मोगांवा (26) रूपखेड़ी (27) भोपाड़ा (28) डाल्याखेड़ी (29) दाबड़ (30) मेंहगांव (31) भोगांवा सिपानी (32) काकरियाव (33) उमठी (34) रामपुरा (35) बड़गांव (36) भातुड़ (37) सेल्दा (38) आरसी (39) कातोरा (40) दालची (41) जिरभार (42) लौदी (43) नगावा (44) मर्दाना (45) कानापुर (46) फनगांव (47) भुलगांव (48) टोकलाय (49) खमलाय (50) मोखनगांव (51) रायझर (52) रावेर (53) खेड़ी (54) सांगवी (55) बकावा (56) टाकली (57) गोरडिया (58) पाछला (59) जान्याखेड़ी (60) ताजपुरा (61) सिकन्दरखेड़ी (62) अमरपुरा (63) शाहपुरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 1st February 2020

No. B-15-50-2019-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in relation to the market yard declared vide this Department's Notification even number dated 1st February 2020 the following area of Bediya shall be a market area namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bediya in Tehsil Sanawad of District Khargone.
(2) An area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely :—

- (1) Bediya (2) Chiwad (3) Amarpura (4) Tamoliya (5) Bagdakhurd (6) Bagdabugurg (7) Atarsumba (8) Peeprikheda (9) Aamba (10) Jamanya (11) Nalbat (12) Lachora (13) Bhagora (14) Bhugad (15) Dudganw (16) Bahadarpura (17) Baalabad (18) Jaluwaniya (19) Khanpura (20) Bhogawa Nipai (21) Neelkanth (22) Kapashi (23) Chijgohan (24) Rahadkot (25) Mogawa (26) Roopkhedi (27) Bhopada (28) Dalyakhedi (29) Dabad (30) Mehgawon (31) Bhoganwa Shipani (32) Kakriyav (33) Umti (34) Rampura (35) Badganow (36) Bhatud (37) Selda (38) Aarsi (39) Katora (40) Daalchi (41) Jirbhar (42) Laudi (43) Nagaw (44) Mardana (45) Kanapur (46) Phanganw (47) Bhulganw (48) Toklay (49) Khumlay (50) Mokhangon (51) Rajjhar (52) Raver (53) Khedi (54) Salgvi (55) Bakava (56) Takli (57) Godariya (58) Pachala (59) Janyakhedi (60) Tajpura (61) Sikanderkhedi (62) Amarpura (63) Shahpura.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13 दिनांक 9 जून 1953 द्वारा जिला खरगोन की सनावद तहसील के मंडी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-बी-15-150-2019-चौदह-2 दिनांक 19 नवम्बर 2019 द्वारा खरगोन जिले की सनावद तहसील के विकासखण्ड/उपमंडी बैड़िया में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया था।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना का "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मंडी क्षेत्र" को खरगोन जिले की सनावद तहसील से बैड़िया के संपूर्ण विकासखण्ड को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र.-बी-15-50-2019-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 1st February 2020

No. B-15-50-2019-XIV-2.—WHEREAS by this Department Notification No. 145/53 Dated 9th June 1953 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural Produce specified in the said Notification in the area of Sanawad Tehsil of Khargone District (here-in-after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, this Department Notification No. B-15-150-2019-XIV-2 Dated 19th November 2019 issued under the Provisions of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) the State Government has signified its intention to alter the limit of the "said market area" by splitting up there from the area comprising of, Development Block/sub-market Bediya of Sanawad Tehsil in Khargone District (here-in-after referred to as the "said area").

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section and (2) Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by splitting there from the area comprising of Development Block/sub-market Bediya, of Sanawad Tehsil in Khargone District (here-in-after referred to as the "said area").

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Principal Secy.